रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1723] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 7, 2019/ज्येष्ठ 17, 1941
No. 1723] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 7, 2019/JYAISTHA 17, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2019

का.आ. 1928(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2948 (अ), तारीख 19 जून, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को 19 जून, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

उधयामार्थनदापुरम पक्षी अभयारण्य का क्षेत्र 0.453 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ (45.28 हेक्टेयर) है और यह तमिलनाडु राज्य में थिरूवरूर जिला के थिरूथूरईपोंडी तालुक में स्थित है। लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित एक सिंचाई टैँक को जल निकायों में रहने वाले पक्षी-जीव के संरक्षण के लिए 1998 में (जी.ओ.एम एम.संख्या 379 पर्यावरण एवं वन विभाग, दिनांक-31.12.1998) पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था;

और, अभयारण्य लंबे समय तक प्रवासी जल पक्षी समूह जैसे बत्तखों और बगुलों के लिए आहार और शीतकालीन बसेरा स्थल के बजाए है। स्थानीय प्रवासी और आवासीय जल पक्षियों के लिए महत्तपूर्ण बसेरा स्थल है। यहां सामान्य पक्षी *ब्लैक-क्राउन नाइट हेरॉन (नयसिटीकोरक्स नयसिटीकोरक्स), लिटिल कॉर्मोरेंट (फलाक्रोरोक्स निगेर)* पाए जाते है। यहां यह उल्लेख करना रोचक है कि यह स्थल ओपनबिल्ड स्टोर्क *(अनास्टोमुस ओसकिटंस)* (5,000 से अधिक) के सबसे बड़े समूह को आश्रय प्रदान करता है। अन्य विशिष्ट प्रजातियां जो बसेरा के लिए अधीर के दौरान अधिक संख्या में एकत्र होती है, उनमें ओरिएंटल व्हाइट इब्स *(थरेस्किरानिस मेलानोकेफलुस)* शामिल है;

और, यह पर्यावास बत्तखों की तीन आवासीय प्रजातियों अर्थात् लस्सेर व्हिस्लिंग बत्तख *(देंद्रोकयगना जवानिका),* कोम्ब बत्तख (*सर्किडियोरिनिस मैलानोटोस)* और स्पॉटबिल बत्तख *(अनास पोइकिलोरयंचा)* के प्रजनन के लिए *आदर्श* है। अन्य प्रजातियों जो यहां *रीड* बेड और *फ्लोटिंग* वनस्पति *पर प्रजनन करती है, ये है-* इंडियन बैंगनी मुरहेन *(पोरफयरिओ*

पोरफयरिया), इंडियन मौरहें *(गल्लीनुल्ला चलोरोपुस),* फिजेंट-टीलेड जैकाना *(हयद्रोफसिअनुस चिरूकुस),* वाइट-ब्रेस्टेड वाटर-हेन *(अमाउरोर्निस पोइनिकुरूस)* भूमि पर घोषला बनाने वाले पक्षी रेड-वाट्ल्ट लप्विग *(वनेल्लुस इंडिकुस)* थोड़ी संख्या में है। प्रवासी और आंशिक रूप से आवासीय कॉमन कौट *(फुलिका अट्रा)* घोंसले इस आर्द्रभूमि में घोंषला बनाने हैं। बगुलों की प्रजातियों में से स्पॉट बिल्ड पेलिकन *(पेलेकनुस फिलिप्पेंसिस),* पैंटेड स्टोर्क *(मयक्टेरिया लेउकोकेफला),* यूरेशियन स्पूनबिल *(पलाटालेय लेयक्रकोरूदिया)* छोटी संख्या में यहां आते हैं;

और, इस अभयारण्य की अनूठी विशेषता है कि यहां बड़ी संख्या में अंधेरे में बसेरे के लिए पक्षियां रोज आती है और आहार के लिए नज़दीक आर्द्रभूमि और धान की खेतों की ओर प्रस्थान करते है इसके अलावा, सफल प्रबंधन उपायों से इसकी विविधता बढ़ाने के लिए अधिक प्रजनन प्रजातियां और शीतकालीन प्रजातियां आकर्षित होंगी। जिससे पर्यटकों, पक्षी दर्शकों और छात्र आकर्षित होते है। पक्षियों को देखने के लिए अभयारण्य में जाने का अच्छा समय नवंबर और जनवरी है जब पक्षी की संख्या और प्रजातियों की विविधता अधिक होती है। मिट्टी के मैदान पेर्चिंग और रोस्टिंग के लिए उपयुक्त वृक्ष प्रदान करते हैं;

और, अभयारण्य मूल रूप से सिंचाई टैंक है जिसका कृषि के लिए जल भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है। यह अगस्त से आगे मेट्टूर बांध से जल ग्रहण करता है जिसे पूर्वोत्तर मानसून द्वारा अक्टूबर से जनवरी तक पूरित किया जाता है। मार्च से अगस्त तक टैंक पूरी तरह सूखा रहता है। क्योंकि अभयारण्य मूल रूप से सिंचाई टैंक है, अत: अभयारण्य के अंतर्गत कोई प्राकृतिक वन नहीं है।1985-86 के दौरान वन विभाग के सामाजिक वानिकी विंग द्वारा बबूल *(अकैशिया निलोटिका)* बागान उगाए गए। टैंक बांध और फोरशोर में अन्य मुख्य वनस्पति *इंका डल्स, प्रोसोपिस जुलफ्लोरा, टर्मिनेलिया अर्जुन, फिकस बेंगालेंसिस, सयजिगियम कुमिनि और पोंगामिया पिन्नाटा,* आदि है जिसमें प्रवासी पक्षियों जैसे ओपन बिल्लेड स्ट्रोक, वाइट इबिस आदि द्वारा बसेरा और घोषला बनाते हैं;

और, अभयारण्य में 45.285 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैले इस छोटे टैंक में आने वाली और रहने वाली पक्षी जीव की 55 प्रजातियां हैं। सामान्य पक्षियों में ब्लैक-क्राउन नाइट हेरॉन *(नयकटीकोरक्स नयक्टीकोरस),*लिटिल कॉरमोरेट*(फलाक्रोकोरक्स निगर)* आदि हैं। उचित सफल प्रबंधन उपायों से यहां अधिक प्रजनन प्रजातियां और शीतकालीन प्रजातियां आकर्षित होंगी अभयारण्य में जल और भू पक्षियों जैसे अर्थात् लिटिल ग्रेब ***(तचयबातुस रूफिकोल्लिउस),*** ग्रे पेलिकन ***(पेलेकनुस थिलिप्पेनिसिस),*** लिटिल कॉर्मोरेंट*(फलाकरोकोरक्स निगर),* ग्रेंट कॉर्मोरेंट ***(फलाकरोकोरक्स कारबो),*** डारटेर***(अंहींगा रूफा),*** ओरिएंटल हनी-बजर्ड*(पेरनिस पटीलोरहचनचुस),* ब्लैक-सोउल्डरेड काइट *(इलानुस केइरूलेउस),* बरहमिनय काइट *(हलिअस्तुर इंदुस),* पश्चिमी मार्श-हर्रेर *(किरकुस अरूगिनोसुस),* शिकरा*(अकिपिटेर बदिउस),* ग्रे फ्रैंकोलिन*(फरांकोलिनुस पोंदीकेरीनुस),* कॉमन क्यूइल*(कोतुरनिक्स कोतुरनिक्स),* इंडियन पैफोवल*(पावो करीस्टतुस)* आदि की अच्छी विविधता हैं;

और, अभयारण्य में स्तनधारियों, सरीसृपों, उभयचरों, ड्रैगनफलाई, डैमसेलफ्लाई और तितलियों की अच्छी विविधता है स्तनधारियों के उदाहरण इंडियन ग्रे नेवला *(हेरपेस्टेस इडवारदसि),* श्री *स्ट्रिप्ड* पाम गिलहरी *(फुनाम्बुलुस पल्मारूम),* इंडियन फ्लाइंग लोमड़ी *(पटरोपुस गिगंटेउस),* गोल्डन सियार (कैनिस ऑरियस*),* बनबिलार *(फेलिस चाउस),* डोमस्टिक काउ *(बोस तउरूस)* आदि *हैं* सरीसृपों के उदाहरण हाउस जियोक *(हेमिदाक्अयलुस फ्रेनातुस),* स्पॉट इंडियन *जियोक (हेमिदाक्अयलुस बरौकलि),* गार्डन छिपकली *(कलोटेस वरसिकोलोर),* ग्रीन छिपकली *(कलोटेस कलोटेस),* मॉनिटर छिपकली *(वरनुस बेंगलेंसिस,)* आदि *हैं* सरीसृपों के उदाहरण कॉमन इंडियन टोड *(दुट्टाफरयनुस मेलानोस्टिकटुस),* नेर्रोव मूउथेड फरोग *(मिकरोहयला ओरनाटा), पैंटेड फरोग (कलोउला टपरोबनिका),* कॉमन सामान्य ट्री फरोग *(पोल्यपेदुट्स मचुलाटेस), स्किप्पेर फरोग (इयफल्यकटिस कयानोफल्यकटिस)* आदि हैं; तितलियों के उदाहरण ब्लू पैन्सी *(जुनानिया ओरिथया),*ब्लू बाघ *(तिरूमाला लिम्नीका),* कॉमन बुस ब्राउन *(मयकलेसिस पेर्सेउस),* कॉमन इमिग्रांट*(कटोपसिलिया पोमोना),* कॉमन इवेनिंग ब्राउन*(मेलानिटिस इसमने),* कॉमन ग्रास येलो *(इयरेमा हेकबे)* आदि शामिल हैं;

और, अभयारण्य में कई संकटापन्न प्रजातियां हैं जैसे ग्रेट कोरमोरंट (*फलाक्रोकोरक्स करबो*), लिटिल ग्रीन हेरोन (*बुटोराइडस स्ट्रेटस*), येलो बिटटर्न (*लक्सोब्रायचस सिनेंसिस*), चेस्टनट बिटटर्म (*लक्सोब्रायचस* चिन्नमोमेउस), ब्लैक बिटटर्न (*इुपेटर फलाविकोल्लिस*), कॉम्ब डक (*सरकिदीरनिस मेलानोटोस*), आदि हैं और अभयारण्य में दुर्लभ प्रजातियां स्पॉट-बिल्लड पेलिकन (*पेलेकनुस फिलिप्पेंसिस*) और पैंटेड स्ट्रोक (*मयकटेरिया लेउकोकेफला*), विद्यमान हैं;

और, पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 8700 संख्या अधिकांश पर निर्भर हैं और शेष खेतो में दैनिक मजदूरी श्रमिकों के रूप कार्य करते हैं; क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि है और पारिस्थितिकी संवेदी

जोन का क्षेत्र 80% से अधिक कृषि के उपयोग में है और शेष क्षेत्र मछली पालन, पशुपालन और अन्य संबंधित क्रियाकलापों के उपयोग के लिए है;

और, उधयामार्थनदापुरम पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमे इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहाँ गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु राज्य में उधयामार्थनदापुरम पक्षी अभयारण्य की सभी सीमाओं के चारों ओर 0.50 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को उधयामार्थनदापुरम पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार उधयामार्थनदापुरम पक्षी अभयारण्य की सीमा के आसपास 0.50 किलोमीटर एक समान है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 2.213 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का सीमांकन दर्शाने वाले संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र **उपाबंध-IIक** से **उपाबंध-IIच** में है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** में है।

(5) प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ, एक आंचलिक महायोजना बनाएगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

IndiaCode

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग;

(xii) राजमार्ग; और

(xiii) तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा और इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित किया जाएगा ताकि स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी अनुकूल विकास सुनिश्चित किया जा सके।

(10) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप।

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा;

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ;

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा ।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान करके उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा करके इस रीति से बनाए जाऐंगे कि उसमें इन क्षेत्रों या इनके आसपास के क्षेत्रों के लिए हानिकारक विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया गया हो।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिसोर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी पर्यटन पर जोर देते हुए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर सम्बद्ध विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और किसी नए होटल/रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापनों के संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(4) **प्राकृतिक विरासत** – पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

IndiaCode

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसरण में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों और उसके अधीन समय समय पर बनाए गए संशोधित नियमों को कार्यान्वित करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन**.- वाहन-यातायत का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण. -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे,

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोड़ने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
8.	होटलों और रिसोर्टो की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्ट की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी; परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अनुज्ञात होगी ।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना ; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह-वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप । परन्तु गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम

		प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकार भूमि या राजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रह ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
13.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
14.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उडाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
18.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
19.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
20.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।

21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं, बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	ग.संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

IndiaCode

5.पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए निम्नलिखित को शामिल करके एक निगरानी समिति गठित करती है:-

क्र. सं.	मानीटरी समिति का गठन	पद
1.	जिला कलेक्टर, तिरुवरुर	- अध्यक्ष;
2.	राजस्व प्रभाग अधिकारी, मन्नारगुडी	–सदस्य;
3.	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	–सदस्य;
4.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला एक जैवविविधता विशेषज्ञ	–सदस्य;
5.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाल एक पारिस्थितिकी और पर्यावरण विशेषज्ञ	–सदस्य;
6.	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	–सदस्य;
7.	जिला पर्यावरण इंजीनियर, तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नागपट्टिनम	–सदस्य;
8.	परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास संस्था, तिरुवरूर	–सदस्य;
9.	जिला वन अधिकारी, तिरुवरुर	–सदस्य सचिव।

6. निर्देश-निबंधन.- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकारियो को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. सर्वोच्च न्यायालय, आदि के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/04/2018-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

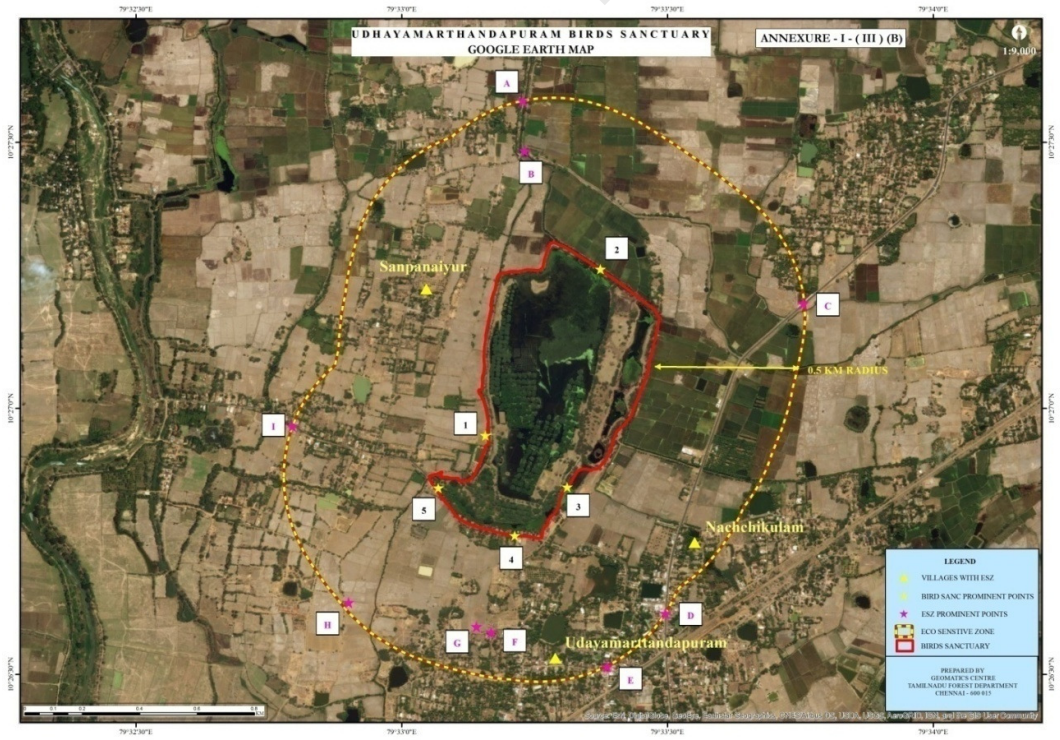
उपाबंध- I

संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर	सीमा उधयामार्थनदापुरम ग्राम आर.एस.सं. भाग 1 से 7 को आर्द्रभूमि और पोरमबोके को शामिल करके आरंभ होती है।
उत्तर पूर्व	सीमा उधयामार्थनदापुरम ग्राम 8/1, 8/ए, 8-2बी, 9/1ए, 9/1. 9/2 आर्द्रभूमि और पोरमबोके को शामिल करके आरंभ होती है।
पूर्व	इसके बाद सीमा उधयामार्थनदापुरम आर.एस.सं 10-1, 10-2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, आर्द्रभूमि पोरमबोके भूमि और सड़क से होते हुए जाती है।
दक्षिण पूर्व	इसके बाद सीमा उधयामार्थनदापुरम आर.एस.सं 17,18,19,21,,22/1ए, 23,31,32 से होते हुए जाती है।
दक्षिण	इसके बाद सीमा उधयामार्थनदापुरम आर.एस.सं 34, 37 से होते हुए जाती है जो कि आर्द्रभूमि है।
दक्षिण पश्चिम	इसके बाद सीमा पीन्नाथूर ग्राम आर.एस.सं. 352, 353,354, 355, 345, 346 में समाप्त होती है।
पश्चिम	इसके बाद सीमा पीन्नाथूर ग्राम आर.एस.सं. 347/1, 2 से 9, 348, 349, 350 में समाप्त होती है जो सिंचाई कैनल आर्द्रभूमि और पोरमबोके को आच्छादित करती है।
उत्तर पश्चिम	इसके बाद सीमा पीन्नाथूर ग्राम आर.एस.सं. 338, 339, 337, 337/1, 337/6 339/1 से 4 में समाप्त होती हैं।

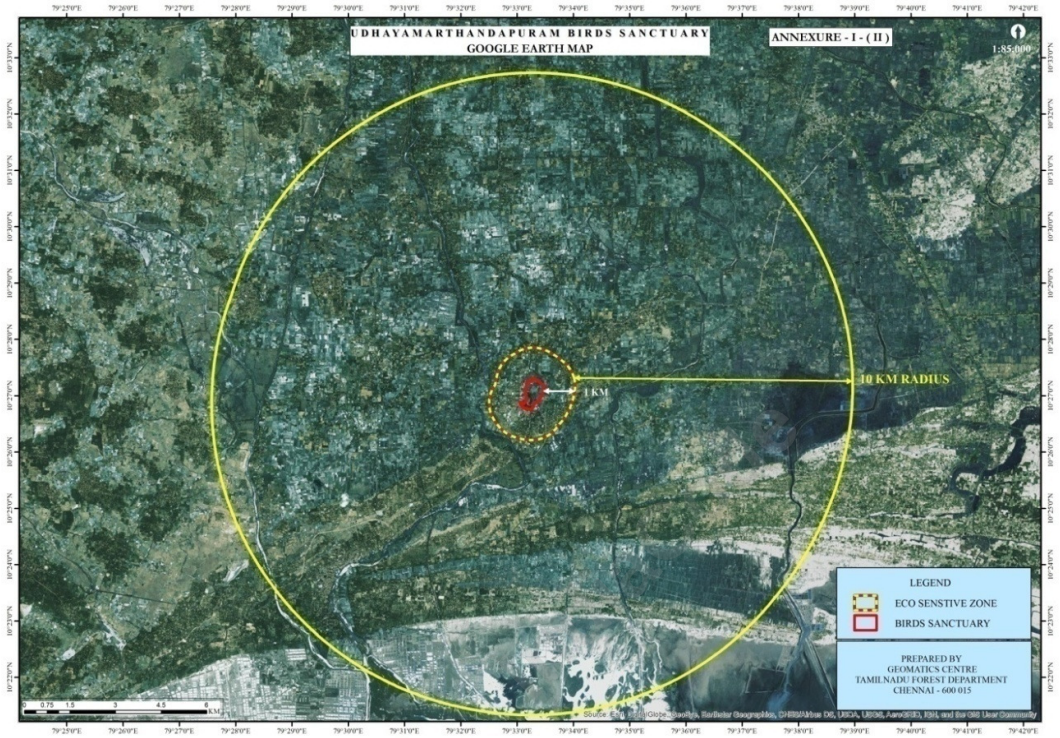
उपाबंध- IIक

उधयामार्थनदापुरम पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



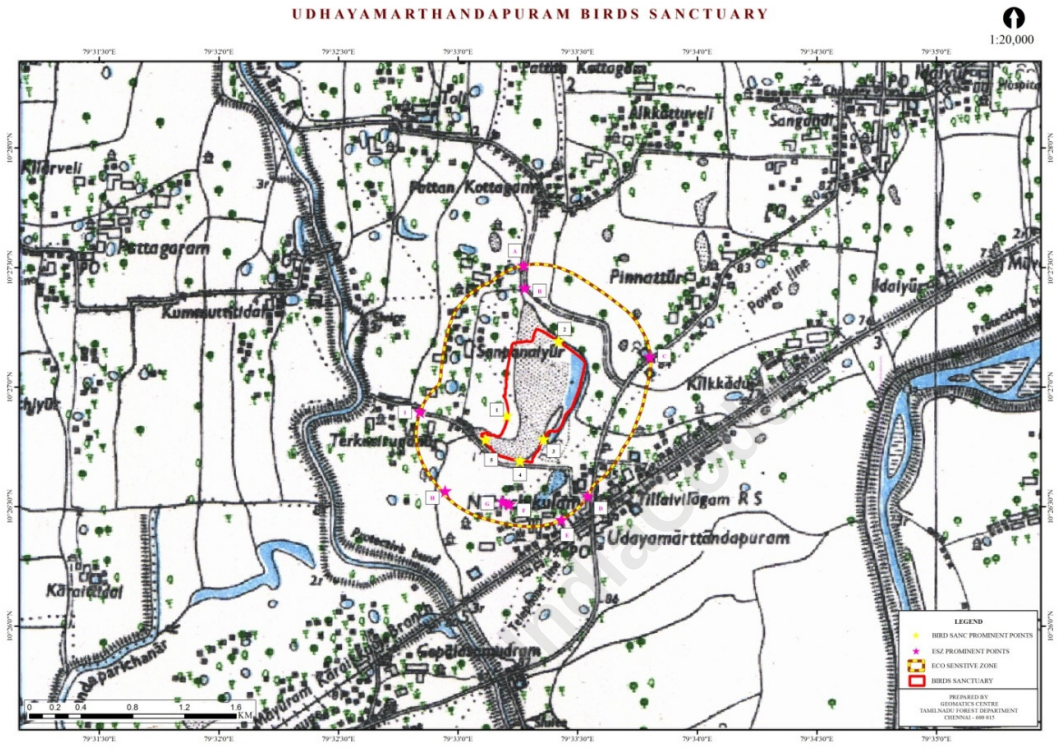
उपाबंध- I ख

उधयामार्थनदापुरम पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



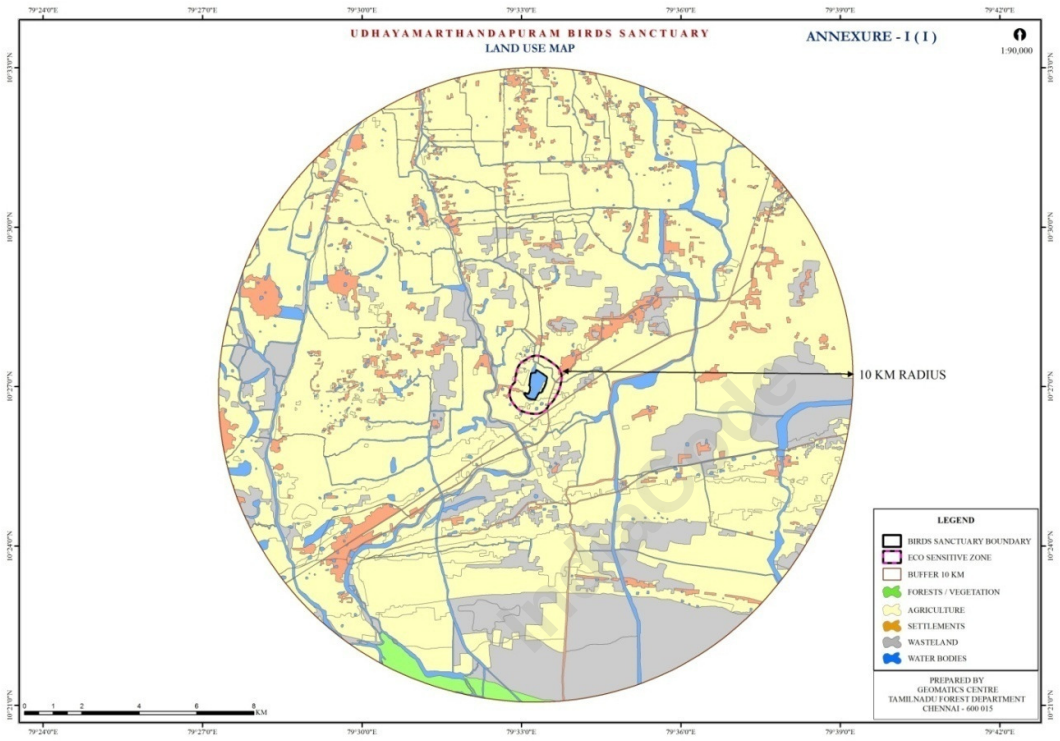
उपाबंध- IIIग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर उधयामार्थनदापुरम पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी का मानचित्र



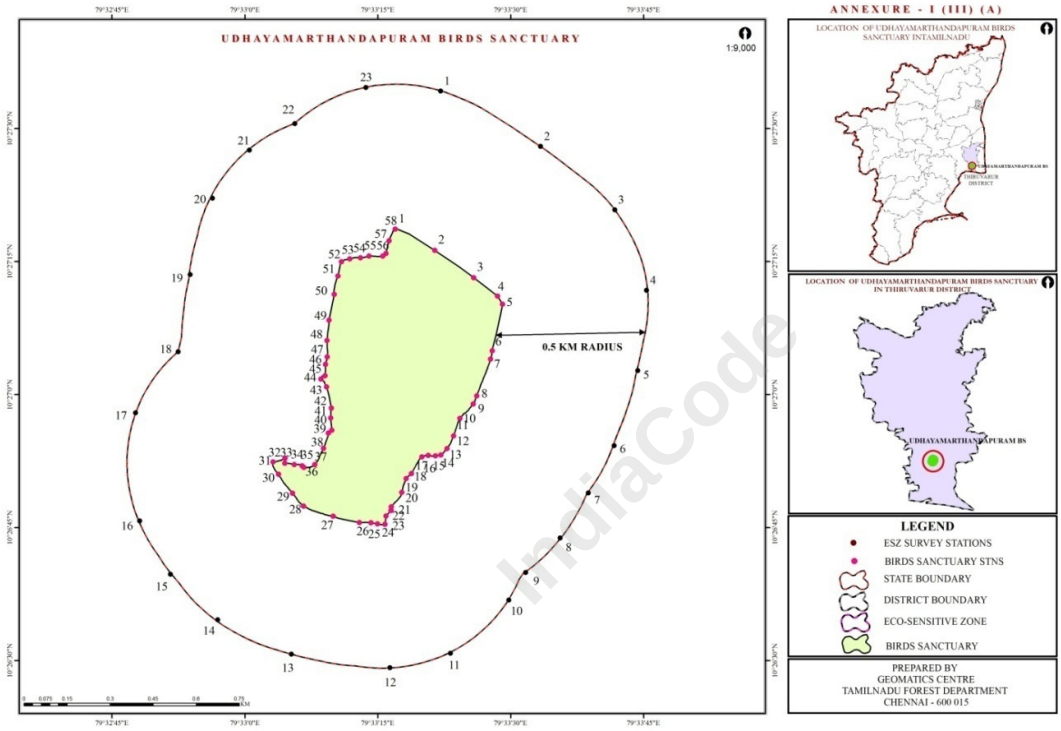
उपाबंध- II घ

10 किलोमीटर बफर क्षेत्र के साथ उधयामार्थनदापुरम पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भू-उपयोग मानचित्र



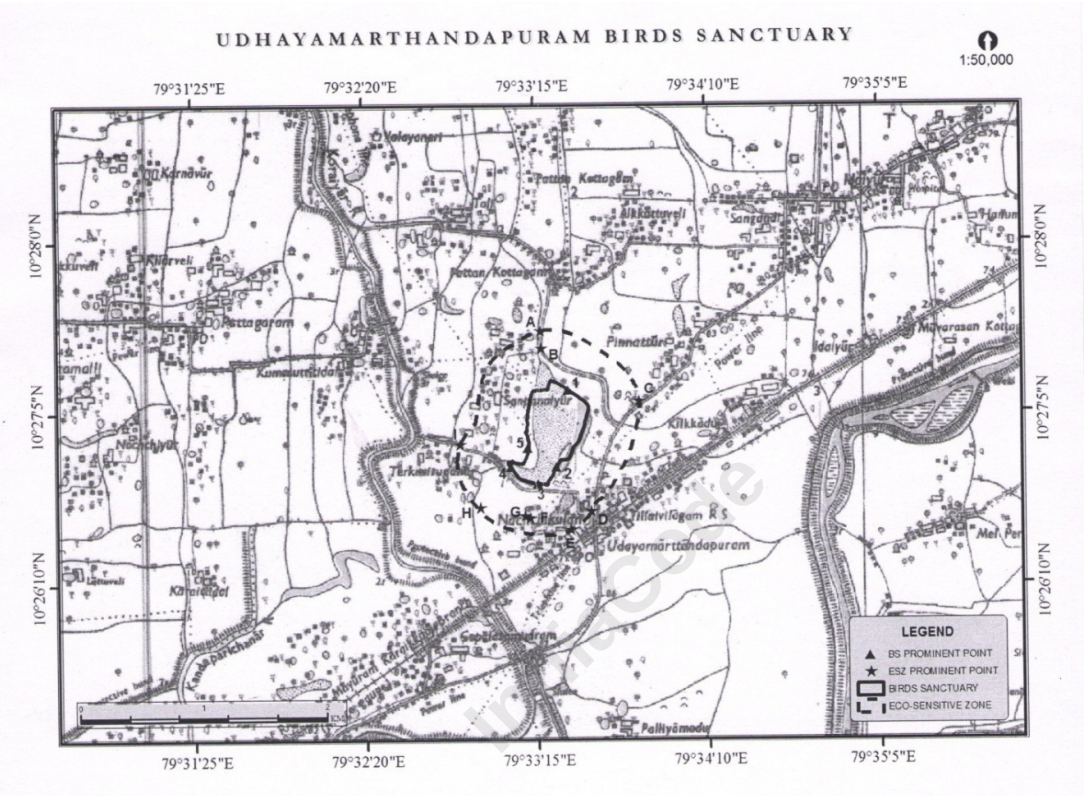
उपाबंध- IIड.

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ उधयामार्थनदापुरम पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध- IIच

रेखाछाया के साथ उधयामार्थनदापुरम पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन को दर्शाने वाला मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क : उधयामार्थनदापुरम पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदु की स्थिति/दिशा	अक्षांश (उ) डी.एम.एस प्रारूप	देशांतर (पू) डी.एम.एस प्रारूप
1.	1	उ	10°27'19"	79°33'17"
2.	2	उ वॉच टावर उत्तर	10°27'16"	79°33'21"
3.	3	उ पू	10°27'13"	79°33'26"
4.	4	उ पू	10°27'11"	79°33'29"
5.	5	उ पू	10°27'10"	79°33'29"
6.	6	पू	10°27'5"	79°33'28"
7.	7	पू	10°27'4"	79°33'28"
8.	8	पू वॉच टावर पूर्व	10°26'60"	79°33'26"
9.	9	पू	10°26'59"	79°33'26"
10.	10	द पू	10°26'57"	79°33'24"
11.	11	द पू	10°26'55"	79°33'24"
12.	12	द पू	10°26'54"	79°33'23"

13.	13	द पू	10°26'53"	79°33'22"
14.	14	द पू सरकार उच्च माध्यमिक विद्यालय, नचीकूलम	10°26'53"	79°33'22"
15.	15	द पू	10°26'53"	79°33'21"
16.	16	द पू	10°26'53"	79°33'20"
17.	17	द पू	10°26'51"	79°33'19"
18.	18	द पू	10°26'51"	79°33'18"
19.	19	द	10°26'49"	79°33'18"
20.	20	द	10°26'47"	79°33'17"
21.	21	द	10°26'47"	79°33'17"
22.	22	द	10°26'46"	79°33'16"
23.	23	द	10°26'45"	79°33'16"
24.	24	द	10°26'45"	79°33'15"
25.	25	द	10°26'46"	79°33'14"
26.	26	द वॉच टावर दक्षिण	10°26'46"	79°33'13"
27.	27	द प	10°26'46"	79°33'10"
28.	28	द प	10°26'47"	79°33'7"
29.	29	द प	10°26'49"	79°33'5"
30.	30	द प	10°26'51"	79°33'4"
31.	31	द प	10°26'52"	79°33'3"
32.	32	द प	10°26'53"	79°33'5"
33.	33	द प	10°26'52"	79°33'4"
34.	34	द प	10°26'52"	79°33'6"
35.	35	द प	10°26'52"	79°33'6"
36.	36	द प	10°26'52"	79°33'7"
37.	37	द प	10°26'52"	79°33'8"
38.	38	प वॉच टावर पश्चिम	10°26'54"	79°33'9"
39.	39	प	10°26'56"	79°33'9"
40.	40	प	10°26'56"	79°33'10"
41.	41	प	10°26'57"	79°33'10"
42.	42	प	10°26'58"	79°33'10"
43.	43	प	10°27'1"	79°33'9"
44.	44	प	10°27'2"	79°33'9"
45.	45	प	10°27'2"	79°33'9"
46.	46	प	10°27'3"	79°33'9"
47.	47	प	10°27'4"	79°33'9"
48.	48	प	10°27'6"	79°33'9"

IndiaCode

49.	49	उ प	10°27'8"	79°33'9"
50.	50	उ प	10°27'11"	79°33'10"
51.	51	उ प	10°27'13"	79°33'10"
52.	52	उ प	10°27'15"	79°33'11"
53.	53	उ प	10°27'15"	79°33'12"
54.	54	उ प	10°27'15"	79°33'13"
55.	55	उ प	10°27'16"	79°33'14"
56.	56	उ प	10°27'16"	79°33'16"
57.	57	उ	10°27'16"	79°33'16"
58.	58	उ	10°27'17"	79°33'16"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख स्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदु की स्थिति/दिशा	अक्षांश (उ) डी.एम.एस प्रारूप	देशांतर (पू) डी.एम.एस प्रारूप
1.	1	उ	10°27'34"	79°33'22"
2.	2	उ	10°27'28"	79°33'33"
3.	3	उ पू	10°27'21"	79°33'42"
4.	4	पू नचीकूलम ऐयरसेल टावर	10°27'12"	79°33'45"
5.	5	पू	10°27'3"	79°33'44"
6.	6	द पू	10°26'54"	79°33'42"
7.	7	द पू	10°26'49"	79°33'39"
8.	8	द पू	10°26'44"	79°33'36"
9.	9	द	10°26'40"	79°33'32"
10.	10	द उधयामार्थनदापुरम चंद्राकूलम	10°26'37"	79°33'30"
11.	11	द सरकार उच्च माध्यमिक विद्यालय, नचीकूलम	10°26'31"	79°33'23"
12.	12	द	10°26'29"	79°33'16"
13.	13	द	10°26'31"	79°33'5"
14.	14	द प	10°26'35"	79°32'57"
15.	15	द प	10°26'40"	79°32'52"
16.	16	द प उधयामार्थनदापुरम रेलवे स्टेशन	10°26'46"	79°32'48"
17.	17	प	10°26'58"	79°32'48"
18.	18	प सीरूपद्धाईयूर सड़क	10°27'5"	79°32'52"

indiacode

19.	19	प	10°27'14"	79°32'54"
20.	20	उ प	10°27'22"	79°32'56"
21.	21	उ प	10°27'28"	79°33'1"
22.	22	उ प	10°27'31"	79°33'6"
23.	23	उ सीरूपद्धाईयूर ईबी ट्रांसफार्मर	10°27'35"	79°33'14"

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ उधयामार्थनदापुरम पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम नाम	तालुक	जिला	अक्षांश (उ) डी.एम.एस प्रारूप	देशांतर (पू) डी.एम.एस प्रारूप
1.	उधयामार्थनदापुरम	थिरूथूरईपोंडी	तिरुवरुर	10°26'32"	79°33'17"
2.	सीरूपनाईयूर	थिरूथूरईपोंडी	तिरुवरुर	10°27'13"	79°33'3"
3.	नचीकूलम	थिरूथूरईपोंडी	तिरुवरुर	10°26'45"	79°33'33"

indiacode

उपाबंध-V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति:- की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र.-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार: (विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें)।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार : (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार : (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार :
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला :

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2019

S.O. 1928(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2948 (E), dated the 19th June, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, the copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 19th June, 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification;

AND WHEREAS, the Udhayamarthandapuram Birds Sanctuary spread over an area of 0.453 square kilometer (45.28 ha) is situated in Thiruthuraipoondi Taluk of Thiruvarur District in the State of Tamil Nadu; an irrigation tank maintained by Public Works Department was declared as Bird Sanctuary in 1998 (G.O. Ms.No.379 Environment and Forests Department dated the 31st December, 1998) for the conservation of avian fauna that inhabit the water body;

AND WHEREAS, the Sanctuary is an important roosting site for local migrants and resident water bird rather than feeding and wintering grounds for the long distant migrant water bird groups such as ducks and waders; the common generalists are Black-crowned Night Heron (*Nycticorax nycticorax)*, Little Cormorant (*Phalacrocorax niger)* and this site, probably, supports the largest congregation of Openbilled Stork (*Anastomus oscitans)* (over 5,000), and other notable species which congregate more in numbers during dusk hours for roosting include Oriental White Ibis (*Threskiornis melanocephalus)*;

AND WHEREAS, this habitat is ideal for the breeding of three resident species of ducks namely Lesser Whistling Duck *(Dendrocygna javanica)* Comb Duck (*Sarkidiornis mealanotos)* and Spotbilled Duck (*Anas poecilorhyncha)*; other species which breed here on the reed beds and floating vegetation are Indian Purple Moorhen, (*Porphyrio porphyria)*, Indian Moorhen (*Gallinulla chloropus)*, Pheasant-tailed Jacana (*Hydrophasianus chirurcus),* White-breasted Water-hen (*Amaurornis phoenicurus);* the bird nesting on the ground is Red-wattled Lapwing (*Vanellus indicus);* and a small number of migratory and partially resident Common Coot (*Fulica atra)* utilise this wetland for nesting; among the heronry species which occasionally visits in small numbers are the Spot billed Pelican (*Pelecanus philippensis),* Painted Stork (*Mycteria leucocephala),* and Eurasian Spoonbill (*Platalea leuccorodia*);

AND WHEREAS, the daily arrival of roosting birds in the dusk and departure to neighbouring wetlands and paddy fields for feeding in the dawn in such a large numbers is the unique feature of this sanctuary and successful management measures will attract more breeding species and wintering species to enhance the diversity which in turn will attract more tourists, birdwatchers and students; the best time to visit the Sanctuary for bird watching is November-January when bird population and species diversity is at the highest and the earthen mounds provide suitable trees for perching and roosting;

AND WHEREAS, the Sanctuary is basically an irrigation tank that is used for storing water for agriculture, which receives water from Mettur dam from August onwards which is further supplemented by the northeast monsoons from October till January; the tank remains completely dry from March to August; and as the Sanctuary is basically an irrigation tank, there is no natural forest within the Sanctuary; Babul (*Acacia nilotica)* plantations were raised by the Social Forestry wing of the Forest Department during 1985-86 and the other major flora in the tank bunds and foreshore are *Inca dulce*, *Prosopis juliflora,Terminalia arjuna, Ficus bengalensis, Syzigium cumini* and *Pongamia pinnata,* etc which are used for roosting and nesting by the migratory birds like Open billed stork, White ibis etc.;

AND WHEREAS, the Sanctuary has 55 species of avian fauna visiting and residing in this small tank spread over 45.285 hectare; the common generalists are Black-crowned Night Heron (*Nycticorax nycticoras),* Little Cormorant (*Phalacrocorax niger) etc.* and proper successful management measures will attract more breeding species and wintering species, and the sanctuary has good variety of water and land birds e.g. Little grebe *(Tachybaptus ruficollius),* Grey Pelican *(Pelecanus thilippenisis),* Little cormorant *(Phalacrocorax*

niger), Great cormorant *(Phalacrocorax carbo),* Darter *(Anhinga rufa),* Oriental Honey-Buzzard *(Pernis ptilorhynchus),* Black-shouldered Kite *(Elanus caeruleus),* Barhminy Kite *(Haliastur Indus),* Western Marsh-Harrier *(Circus aeruginosus),* Shikra *(Accipiter badius),* Grey Francolin *(Francolinus pondicerianus),* Common Quail *(Coturnix coturnix),* Indian Peafowl *(Pavo cristatus)* etc.;

AND WHEREAS, the good diversity of mammals, reptiles, amphibians, dragonflies, damselflies and butterflies has been recorded in the Sanctuary; example of mammals are Indian Grey Mongoose *(Herpestes edwardsii),* Three striped palm Squirrel *(Funambulus palmarum),* Indian flying fox *(Pteropus giganteus),* Golden Jackal *(Canis aureus),* Jungle Cat *(Felis chaus),* Domestic Cow *(Bos Taurus)* etc; example of reptiles are House Gecko *(Hemidactylus frenatus),* Spotted Indian Geock *(Hemidactylus brookli),* Garden Lizard *(Calotes versicolor),* Green lizard *(Calotes calotes),* Monitor lizard *(Varanus bengalensis,)* etc; and example of reptiles are Common Indian Toad *(Duttaphrynus melanostictus),* Narrow mouthed frog *(Microhyla ornate),* Painted frog *(Kaloula taprobanica),* Common tree frog *(Polypedatus maculates),* Skipper frog *(Euphlyctis cyanophlyctis)* etc; example of butterflies include Blue Pansy *(Junonia orithya),* Blue Tiger *(Tirumala limniace),* Common Bush brown *(Mycalesis perseus),* Common Emigrant *(Catopsilia Pomona),* Common Evening Brown *(Melanitis ismene),* Common Grass Yellow *(Eurema hecabe)* etc.;

AND WHEREAS, the Sanctuary has many endangered species e.g. Great Cormorant (Phalacrocorax carbo), Little Green Heron (Butorides striatus), Yellow Bittern (Lxobrychus sinensis), Chestnut Bittrem (Lxobrychus cinnamomeus), Black Bittern (Dupetor flavicollis), Comb Duck (Sarkidiornis melanotos), etc. and the rare species present in the sanctuary are Spot-billed Pelican (Pelecanus philippensis) and Painted Strok (Mycteria leucocephala);

AND WHEREAS, the population of the Eco-sensitive Zone area is around 8700 Nos, most of the people depend on agriculture and the remaining work in the agricultural fields as daily wage workers; the important economy of the area is primarily agriculture and more than 80% of the Eco-sensitive Zone area is in agricultural use and remaining areas are used for fishing, animal husbandry and other related activities;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1, around the protected area of Udhayamarthandapuram Bird Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an uniform extent of 0.50 Kilometre in all the directions around the boundary of Udhayamarthandapuram Bird Sanctuary in the State of Tamil Nadu as Udhayamarthandapuram Bird Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-Sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. - (1) The extent of Eco-sensitive Zone is uniformly 0.50 Kilometre in all the directions around the boundary of Udhayamarthandapuram Bird Sanctuary and the area of the Eco-Sensitive Zone is 2.213 square kilometers.

(2) The boundary description of the Eco Sensitive Zone is appended at **Annexure-I.**

(3) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure-IIA** to **Annexure-IIF.**

(4) List of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-sensitive Zone is at **Annexure-III**.

(5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone. - (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-Sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department;

(xii) Highways; and

(xiii) Tamil Nadu State Pollution Control Board.

IndiaCode

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

(10) The said Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for Security of local communities livelihood.

3. Measures to be taken by State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. – (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-Sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified in clause (a) above, within the Eco-Sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and

other rules and regulations of the Central Government or State Government as applicable and vide provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities;

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometres from the boundary of the Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Sanctuary till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-Sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-Sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes. - Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal and management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-Sensitive Zone;

(ii) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste. – Bio-Medical Waste Management shall be as under-

(i) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016;

(ii) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management. - The Plastic Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and Demolition Waste Management. - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste. - The E-Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State

Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution. - Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units. – (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-Sensitive Zone.

(iii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes. - The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-Sensitive Zone.- All activities in the Eco-Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining.	(a) All new (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P. (C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P. (C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition the, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.

6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents, such as:- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) small scale industries not causing pollution as per the classification done by the Central Pollution Control Board; (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and (v) promoted activities listed in this notification: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.

11.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
14.	Establishment of large scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except as otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
15.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the Eco-Sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable law.
23.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be strictly monitored by the concerned authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.

IndiaCode

C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. to be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
36.	Skill development.	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of degraded land/forests/habitats.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification. - For effective monitoring of the provisions of this notification, the Central Government, under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely: -

S. No.	Constituent of Monitoring Committee	Designation
1.	The District Collector, Thiruvarur	Chairman;
2.	Revenue Division Officer, Mannargudi	Member;
3.	A representative of Non-Government Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
4.	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
5.	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member;
6.	A representative from the State Public Works Department	Member;
7.	District Environmental Engineer, Tamil Nadu State Pollution Control Board, Nagapattinam	Member;
8.	Project officer, District Rural Development Agency, Thiruvarur	Member;
9.	District Forest Officer, Thiruvarur	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring Committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

IndiaCode

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per performa given in **Annexure V.**

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional Measures.-The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. Orders.- The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

IndiaCode

[F. No. 25/04/2018-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

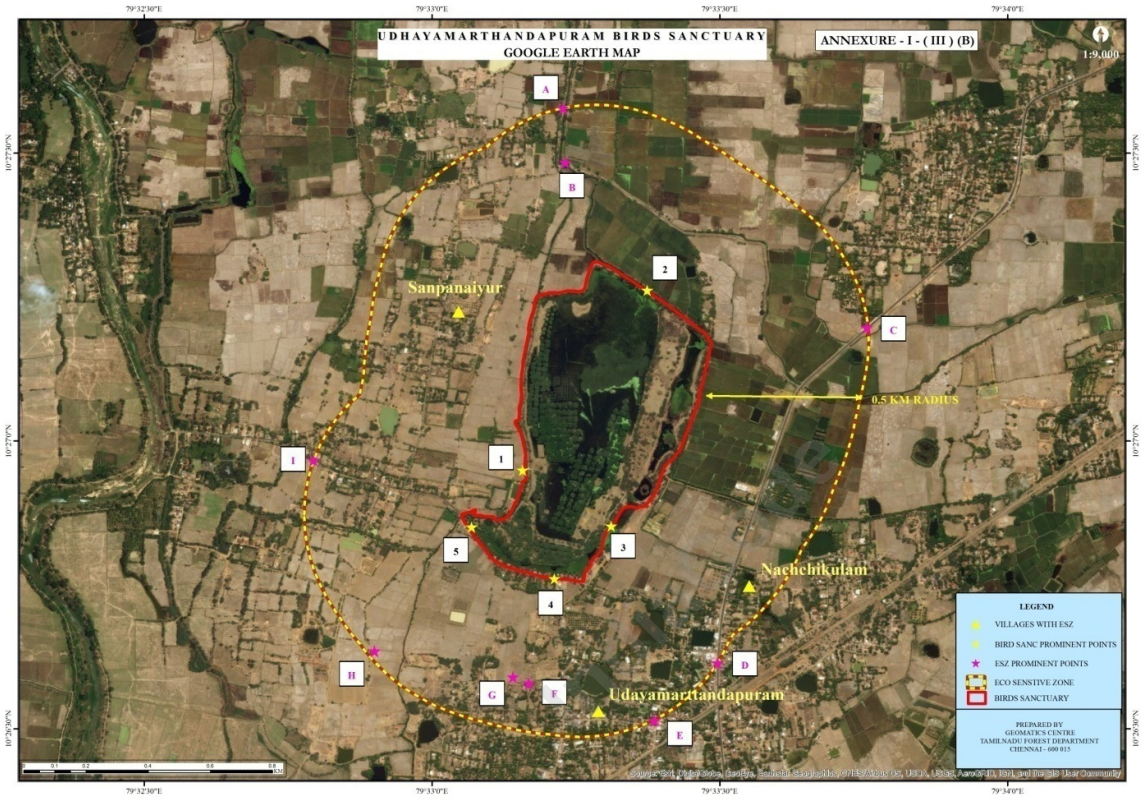
ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

North	The boundary starts from Udayamarthandapuram village R.S. No. Part of 1 to 7 covering wetlands and poramboke.
North East	The boundary starts from Udayamarthandapuram village 8/1, 8/A, 8-2B, 9/1A, 9/1B. 9/2 covering wetlands and poramboke.
East	Thence the boundary runs from Udayamarthandapuram R.S. No. 10-1, 10-2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, covering wetlands poramboke lands and roads.
South East	Thence the boundary runs from Udayamarthandapuram in R.S.No. 17, 18, 19, 21, 22/1A, 23, 31, 32.
South	Thence the boundary runs from Udayamarthandapuram R.S. Nos. 34, 37 which 1 we are the wetlands.
South West	Thence the boundary ends in Pinnathur Village, R.S. No. 352, 353,354, 355, 345, and 346.
West	Thence the boundary ends in Pinnathur Village, R.S. No. 347/1, 2 to 9, 348, 349, 350 covering irrigation canals, Wetlands and poramboke.
North West	Thence the boundary ends in Pinnathur Village, R.S. No. 338, 339, 337, 337/1, 337/6 339/1 to 4.

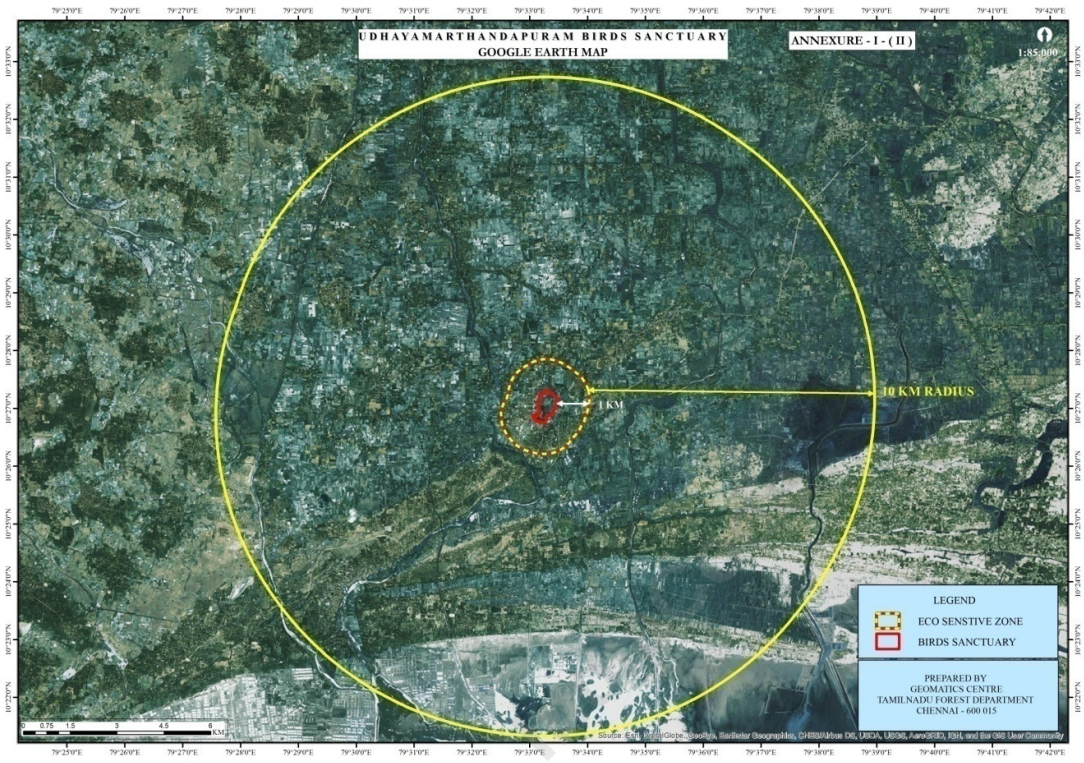
ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF UDHAYAMARTHANDAPURAM BIRD SANCTUARY



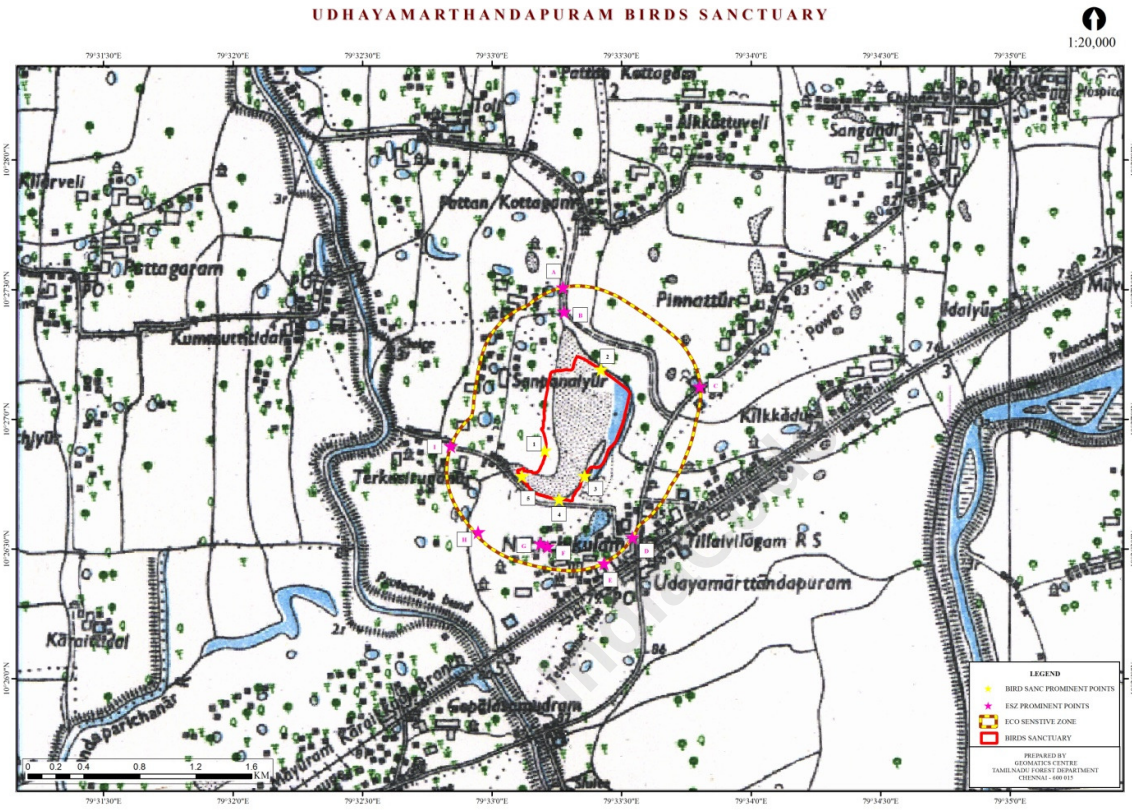
ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF UDHAYAMARTHANDAPURAM BIRD SANCTUARY



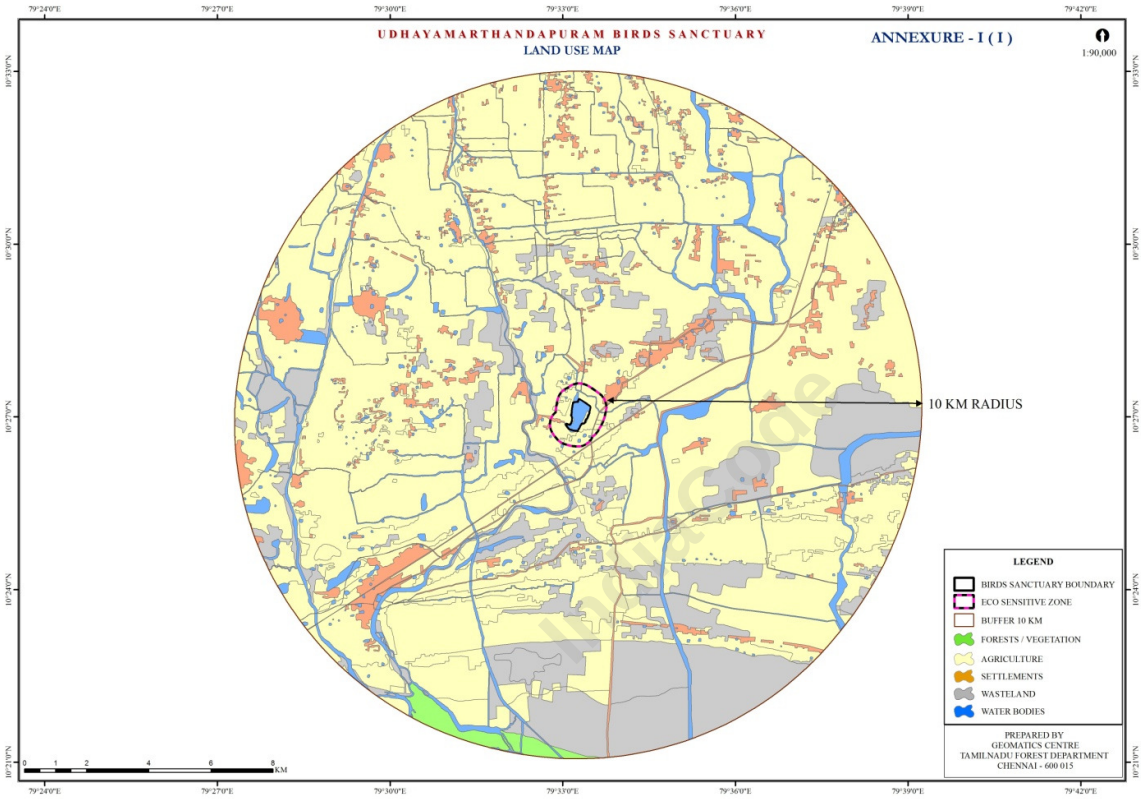
ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF UDHAYAMARTHANDAPURAM BIRD SANCTUARY ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



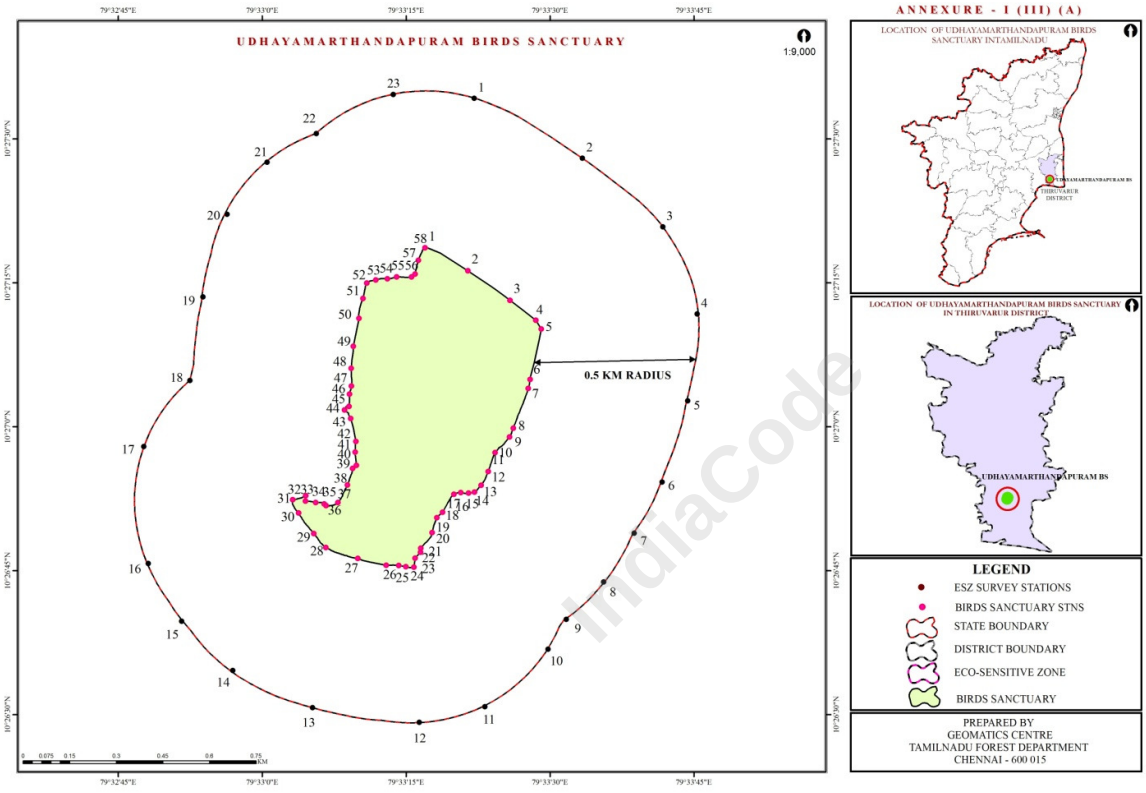
ANNEXURE- IID

LANDUSE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF UDHAYAMARTHANDAPURAM BIRD SANCTUARY ALONG WITH 10 KILOMETRE BUFFER



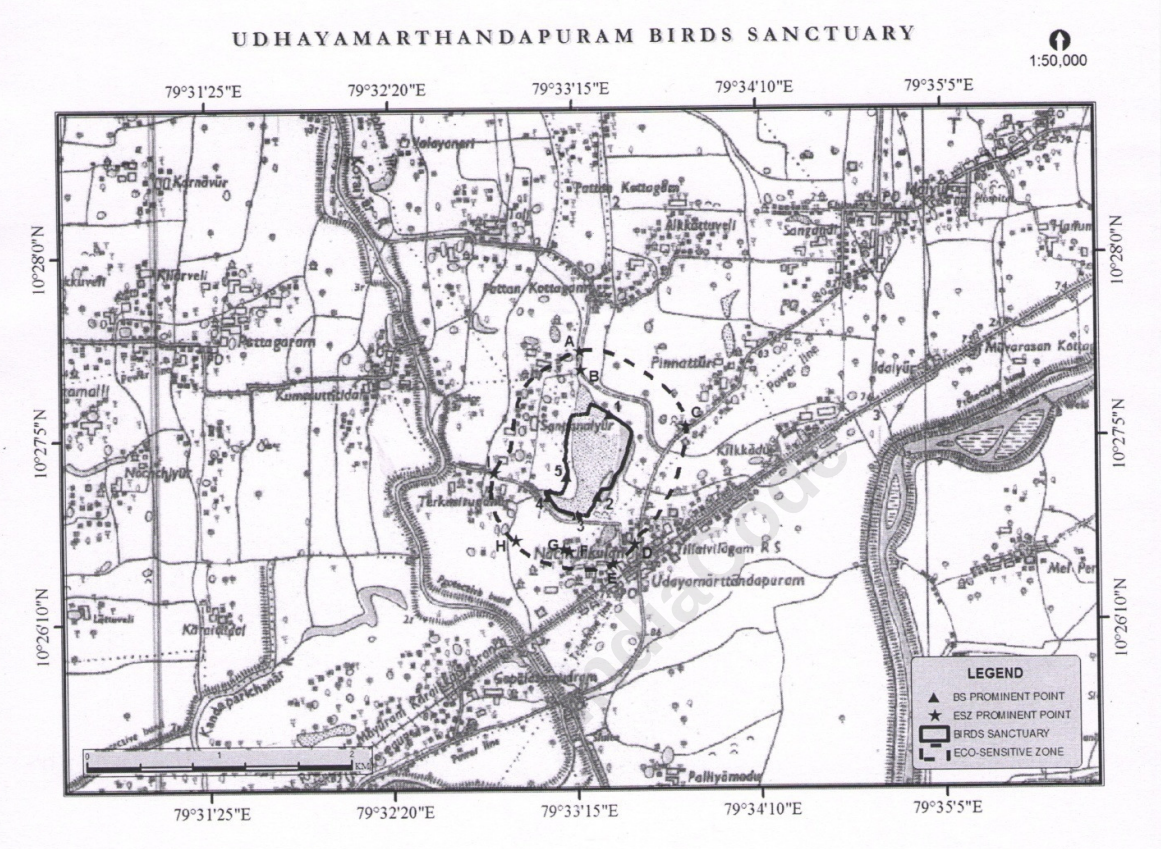
ANNEXURE- IIE

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF UDHAYAMARTHANDAPURAM BIRD SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIF

MAP SHOWING ECO-SENSITIVE ZONE OF UDHAYAMARTHANDAPURAM WITH HATCHING



ANNEXURE-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Udhayamarthandapuram Bird Sanctuary, Tamil Nadu

S. No.	Identification of prominent points	Location / Direction of Prominent Point	Latitude (N) DMS format	Longitude (E) DMS format
1.	1	N	10°27'19"	79°33'17"
2.	2	N Watch Tower North	10°27'16"	79°33'21"
3.	3	NE	10°27'13"	79°33'26"
4.	4	NE	10°27'11"	79°33'29"
5.	5	NE	10°27'10"	79°33'29"
6.	6	E	10°27'5"	79°33'28"
7.	7	E	10°27'4"	79°33'28"
8.	8	E Watch Tower East	10°26'60"	79°33'26"
9.	9	E	10°26'59"	79°33'26"
10.	10	SE	10°26'57"	79°33'24"
11.	11	SE	10°26'55"	79°33'24"

12.	12	SE	10°26'54"	79°33'23"
13.	13	SE	10°26'53"	79°33'22"
14.	14	SE Govt.Hr.Sec.School, Nachikulam	10°26'53"	79°33'22"
15.	15	SE	10°26'53"	79°33'21"
16.	16	SE	10°26'53"	79°33'20"
17.	17	SE	10°26'51"	79°33'19"
18.	18	SE	10°26'51"	79°33'18"
19.	19	S	10°26'49"	79°33'18"
20.	20	S	10°26'47"	79°33'17"
21.	21	S	10°26'47"	79°33'17"
22.	22	S	10°26'46"	79°33'16"
23.	23	S	10°26'45"	79°33'16"
24.	24	S	10°26'45"	79°33'15"
25.	25	S	10°26'46"	79°33'14"
26.	26	S Watch Tower South	10°26'46"	79°33'13"
27.	27	SW	10°26'46"	79°33'10"
28.	28	SW	10°26'47"	79°33'7"
29.	29	SW	10°26'49"	79°33'5"
30.	30	SW	10°26'51"	79°33'4"
31.	31	SW	10°26'52"	79°33'3"
32.	32	SW	10°26'53"	79°33'5"
33.	33	SW	10°26'52"	79°33'4"
34.	34	SW	10°26'52"	79°33'6"
35.	35	SW	10°26'52"	79°33'6"
36.	36	SW	10°26'52"	79°33'7"
37.	37	SW	10°26'52"	79°33'8"
38.	38	W Watch Tower West	10°26'54"	79°33'9"
39.	39	W	10°26'56"	79°33'9"
40.	40	W	10°26'56"	79°33'10"
41.	41	W	10°26'57"	79°33'10"
42.	42	W	10°26'58"	79°33'10"
43.	43	W	10°27'1"	79°33'9"
44.	44	W	10°27'2"	79°33'9"
45.	45	W	10°27'2"	79°33'9"
46.	46	W	10°27'3"	79°33'9"
47.	47	W	10°27'4"	79°33'9"
48.	48	W	10°27'6"	79°33'9"
49.	49	NW	10°27'8"	79°33'9"
50.	50	NW	10°27'11"	79°33'10"
51.	51	NW	10°27'13"	79°33'10"

IndiaCode

52.	52	NW	10°27'15"	79°33'11"
53.	53	NW	10°27'15"	79°33'12"
54.	54	NW	10°27'15"	79°33'13"
55.	55	NW	10°27'16"	79°33'14"
56.	56	NW	10°27'16"	79°33'16"
57.	57	N	10°27'16"	79°33'16"
58.	58	N	10°27'17"	79°33'16"

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

S. No.	Identification of prominent points	Location / Direction of Prominent Point	Latitude (N) DMS format	Longitude (E) DMS format
1.	1	N	10°27'34"	79°33'22"
2.	2	N	10°27'28"	79°33'33"
3.	3	NE	10°27'21"	79°33'42"
4.	4	E Nachikulam Aircel Tower	10°27'12"	79°33'45"
5.	5	E	10°27'3"	79°33'44"
6.	6	SE	10°26'54"	79°33'42"
7.	7	SE	10°26'49"	79°33'39"
8.	8	SE	10°26'44"	79°33'36"
9.	9	S	10°26'40"	79°33'32"
10.	10	S Udayamarthandapuram Chandrakulam	10°26'37"	79°33'30"
11.	11	S Govt Hr.Sec.School, Nachikulam	10°26'31"	79°33'23"
12.	12	S	10°26'29"	79°33'16"
13.	13	S	10°26'31"	79°33'5"
14.	14	SW	10°26'35"	79°32'57"
15.	15	SW	10°26'40"	79°32'52"
16.	16	SW Udayamarthanda puram Railway Station	10°26'46"	79°32'48"
17.	17	W	10°26'58"	79°32'48"
18.	18	W Sirupanaiyur Road	10°27'5"	79°32'52"
19.	19	W	10°27'14"	79°32'54"
20.	20	NW	10°27'22"	79°32'56"
21.	21	NW	10°27'28"	79°33'1"
22.	22	NW	10°27'31"	79°33'6"
23.	23	N Sirupanaiyur EB Transformer	10°27'35"	79°33'14"

IndiaCode

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF UDHAYAMARTHANDAPURAM BIRD SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

S. No.	Village Name	Taluk	District	Latitude (N) DMS format	Longitude (E) DMS format
1.	Udayamarthan dapuram	Thiruthuraipoondi	Thiruvarur	10°26'32"	79°33'17"
2.	Sirupanaiyur	Thiruthuraipoondi	Thiruvarur	10°27'13"	79°33'3"
3.	Nachikulam	Thiruthuraipoondi	Thiruvarur	10°26'45"	79°33'33"

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report: - Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings:
2. Minutes of the meetings: (Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure)
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: (Details may be attached as separate Annexure)
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: (Details may be attached as separate Annexure)
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: (Details may be attached as separate Annexure)
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance:

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.06.11 16:19:26 +05'30'